

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235768 CG-DL-E-13052022-235768

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2115] No. 2115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 13 मई. 2022

का.आ. 2224(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथिलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(2) यह आदेश 20 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी.II-13012/3/2021-रसा. II]

एन.के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट: मेथिलीन क्लोराइड (डाइक्लोरोमीथेन) के लिए मुख्य आदेश को दिनांक 25 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2032 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 29 नवंबर, 2021 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4913(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

3258 GI/2022 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2224(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methylene Chloride (Dichloromethane) (Quality Control) Order, 2021 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 20th November, 2022."

[F. No.C.II-13012/3/2021-Chem.II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order for Methylene Chloride (Dichloromethane) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2032(E) dated the 25th May, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 4913(E) dated the 29th November, 2021.

आदेश

नई दिल्ली. 13 मई. 2022

का.आ. 2225(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह आदेश 10 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी.II-13012/3/2021-रसा. II]

एन.के. संतोषी. उप महानिदेशक

नोट: ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड के लिए मुख्य आदेश को दिनांक 15 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2335 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 29 नवंबर, 2021 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4914(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2225(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Ortho Phosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 10th December, 2022."

[F. No.C.II-13012/3/2021-Chem.II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order for Ortho Phosphoric Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2335(E) dated the 15th June, 2021 and subsequently amended vide notification number S.O. 4914(E) dated the 29th November, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 2226(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित पॉलीफॉस्फोरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु: -

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

"(2) यह आदेश 22 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी.II-13012/3/2021-रसा. II]

एन.के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट : पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के लिए मुख्य आदेश को दिनांक 24 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5388(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2226(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Polyphosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 22nd December, 2022."

[F. No.C.II-13012/3/2021-Chem.II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order for Polyphosphoric Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 5388(E) dated the 24th December, 2021.